GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE SOCIETY BHARATPUR

Village- Shoyrana, Near N.H.-11, Bharatpur.

FIRST MEETING OF THE GOVERNING COUNCIL OF GECS BHARATPUR THE CHAIRMANSHIP OF HONEREBLE MINISTER TECHNICAL EDUCATION, GOVERNMENT OF RAJASTHAN.

Date: 18-07-2011 **Time:** 11.00 A.M.

Venue: Technical Education Building, Govt. Khaitan Polytechnic College Campus, Jaipur.

ATTENDANCE

S.No.	Name	Designation	Signature
1	Sh. Mahendra Jeet Singh Malviya	Minister, Tech. Edu., Govt. of Rajasthan & Chairman Governing Council, GECS Bharatpur	
2	Sh. Vipin Chandra Sharma, *IAS*	Principal Secretary, Tech. Edu., Govt. of Rajasthan & Member Governing Council, GECS Bharatpur	
3	Sh. Lalit Kumar Gupta	Dy. Secretary (Finance) & Member Governing Council, GECS Bharatpur	
4	Sh. S.K.Singh	Director, Tech. Edu., Govt. of Raj. & Member Governing Council, GECS Bharatpur	
5	Dr. M.C. Govil	Principal, Govt. Woman Engineering College, Ajmer	
6	Dr. M. M. Sharma	Principal, Govt. Engineering College, Ajmer	
7	Dr. Rekha Rani	Associate Professor, Mathematics, GEC Bharatpur	
8	Dr. D.P. Tiwari	Member Secretary & Principal, GEC Bharatpur	

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर

(राजस्थान सरकार का एक स्वायत्त शाषी संस्थान)
ग्राम : श्यौराना, नेशनल हाइवे –11, भरतपुर(राजस्थान)

शाषी परिषद की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों का संक्षिप्त कार्यवृत्त

शाषी परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 18 जुलाई 2011 प्रातः 11:00 बजे अभियांत्रिकी शिक्षा भवन, राजकीय खैतान पोलटैक्निक परिसर, झालाना डूंगरी, जयपुर में आयोजित हुई जिसका संक्षिप्त कार्यवृत्त इस प्रकार है:

बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है:

1.	श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय :	अध्यक्ष, शाषी परिषद राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी भरतपुर एवं मंत्री, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार
2.	श्री विपिन चन्द शर्मा :	सदस्य, शाषी परिषद राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी भरतपुर एवं प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार
3.	श्री ललित कुमार गुप्ता :	सदस्य, शाषी परिषद राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी भरतपुर एवं उपशासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
4.	डॉ. एम.सी. गोविल :	सदस्य, शाषी परिषद राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी भरतपुर एवं प्राचार्य, राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर
5.	डॉ. एम.एम. शर्मा :	सदस्य, शाषी परिषद राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी भरतपुर एवं प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर
6.	डॉ. रेखा रानी :	सदस्य, शाषी परिषद राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी भरतपुर एवं उपाचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर
7.	डॉ. डी.पी.तिवारी :	सदस्य सचिव, शाषी परिषद राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी भरतपुर एवं प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर

608/M/TE/11
16-9-11
21-9-11

बैठक में उपस्थिति सदस्यों का अध्यक्ष महोदय द्वारा अभिवादन किया गया । बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श हुआ एवं निम्न निर्णय लिये गये :

प्रस्ताव :1 **राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाइटी भरतपुर की आज दिनांक तक हुई कार्यकारी परिषद की बैठकों के बिन्दु स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यकारी परिषद की समस्त बैठकों के बिन्दुओं का अनुमोदन किया गया एवं स्वीकृति प्रदान की गई ।

प्रस्ताव : 2 **राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर के द्वारा महाविद्यालय अनुबन्ध पर लगाये गये (अक्टूबर 2008) स्टाफ सदस्यों को योग्यता एवं चयन प्रक्रिया के आधार पर स्थायीकरण हेतु ।**

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर में संविदा पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों के स्थायी करने पर विचार–विमर्श हुआ एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संविदा पर लगाये गये कर्मचारियों को समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर, उनकी योग्यता एवं चयन प्रक्रिया के आधार पर ही स्थायी किया जावे ।

प्रस्ताव : 3 **अशैक्षणिक स्टाफ के पद के सृजन हेतु।**

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर में अशैक्षणिक स्टाफ के पदों के सृजन पर विचार–विमर्श हुआ एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय की आवश्यकता अनुसार नये पदों का विवरण तैयार किया जावे एवं उनको कार्यकारी परिषद की बैठक में सृजित कराया जावे ।

प्रस्ताव : 4 **स्थायी शैक्षणिक सदस्यों को छठें वेतनमान का 50 प्रतिशत बकाया भुगतान हेतु।**

समस्त महाविद्यालयों में कार्यरत स्थायी शैक्षणिक स्टाफ के छठें वेतनमान का 50 प्रतिशत बकाया भुगतान के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हुआ एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि बकाया भुगतान सभी महाविद्यालयों में एक साथ किया जावेगा । जिसकी स्वीकृति कार्यकारी परिषद द्वारा दी जावेगी ।

प्रस्ताव : 5 **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार शैक्षणिक सदस्यों को परिवीक्षकाल में पूर्ण वेतन देने हेतु।**

शैक्षणिक सदस्यों को परिवीक्षाकाल में पूर्ण वेतन देने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हुआ एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि समान नियम जारी करते समय परिवीक्षाकाल में दी जाने वाली राशि का उल्लेख किया जावे ।

प्रस्ताव : 6 **महाविद्यालय विकास हेतु अतिरिक्त राशि सरकारी कोष से दिलवाने की स्वीकृति हेतु।**

महाविद्यालय विकास हेतु अतिरिक्त राशि सरकारी कोष से दिलवाने के सम्बन्ध विचार–विमर्श हुआ एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा उपशासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया कि महाविद्यालय के विकास हेतु अतिरिक्त राशि दिलवायी जावे ।

प्रस्ताव : 7 अन्य प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय, शाषी परिषद की स्वीकृति के अनुसार ।

7.1 शाषी परिषद द्वारा महाविद्यालय में प्राचार्य को दिये जाने वाले विशेष भत्ता राशि 3000रू. प्रतिमाह से बढ़ाकर 10000रू. प्रतिमाह किया गया जो कि 01 जुलाई 2011 से देय होगा ।

7.2 राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्याल भरतपुर के नाम में राजकीय शब्द जोड़ने का अनुमोदन वित्तीय विभाग एवं शाषी परिषद द्वारा किया गया ।

7.3 शाषी परिषद द्वारा प्राचार्य की वित्तीय कार्य की क्षमता को 5 लाख से बढ़ाकर 10लाख रू. कर दी गई ।

7.4 शाषी परिषद द्वारा महाविद्यालय में विभागाध्यक्षों के कार्यभार का समय दो वर्ष रहेगा, उसके उपरान्त प्रति दो वर्ष पश्चात कार्यभार परिवर्तित कर दिया जावेगा।

7.5 किसी भी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के राजकीय/स्वायत्त शाषी संस्थानों में राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले प्राचार्यों को, उनके पूर्व संस्थानों में दी जा रही सुविधाओं का लाभ राजस्थान सरकार के अधीन भी दिया जावे ।

7.6 महाविद्यालयों की आयोजित की जाने वाली शाषी परिषद(Governing Council) की बैठक का नाम परिवर्तित कर शाषी परिषद समिति (Board of Governors) की बैठक किया गया।

7.7 सभी राजकीय महाविद्यालयों के एक समान नियम बनाने की स्वीकृति शाषी परिषद द्वारा दी गयी।

7.8 शाषी परिषद द्वारा शैक्षणिक सदस्यों की गुणवत्ता में सुधार हेतु, उच्च अध्ययन प्राप्त करने के लिये 10 प्रतिशत संकाय सदस्य के स्थान पर 2012–13 से 15 प्रतिशत संकाय की अनुमति प्रदान की गई। एम.टेक करने के लिये कम से कम 4 वर्ष की संस्थान में सेवा एवं पी.एच.डी करने के लिए 5 वर्ष की सेवा के बाद, उच्च अध्ययन प्राप्त करने के लिये भेजने की अनुमति दी गई।

(डॉ.डी.पी.तिवारी)
सदस्य सचिव एवं
प्राचार्य

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी परिषद, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाइटी, भरतपुर एवं प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार

माननीय अध्यक्ष महोदय, शाषी परिषद एवं राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाइटी भरतपुर एवं मंत्री तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार

Pr. S. (TE)